कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291 2612090 2656357 FAX 0291 2612096

क्रमांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2022 / 4957 दिनांक :: 07/12/22

श्री तुलछाराम पुत्र श्री रणछोडराम वगैरहा,
निवासी–बासनी बैन्दा, खारडा रणधीर, जोधपुर

विषयः– राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 186 / 3 रकबा 11.12.00 बीघा में से 09.08.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 186 / 3 रकबा 11.12.00 बीघा में से 09.08.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु समिति जोन–1 (ले–आउट प्लान) की 01 / 2022 की बैठक दिनांक 06.12.2022 में प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ [redacted]–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।
2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

अतः पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर–भीतर उपरोक्तानुसार शर्तो की पूर्ति करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले–आउट प्लान की पॉच प्रतिया क्लोथ मिडिया पर प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

07/12/2022
उप नगर नियोजक (जोन 1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
o/c जोधपुर

क्रमांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2022 / 4958 दिनांक :: 07/12/2022

प्रतिलिपीः– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1. उपायुक्त जोन 01, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

07/12/2022
उप नगर नियोजक (जोन 1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
o/c जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईटjodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / एफ.49 / 90–क / जोन–01 / 2024 / **दिनांक :–**

प्रेषित :–

1. **श्री तुलछाराम पुत्र श्री रणछोड़राम,**
   जाति सरगरा एवं
2. **श्री लूणाराम पुत्र श्री बाबूलाल,**
   जाति मेघवाल
   जरिये रजिस्टर्ड आम–मुख्त्यार
   श्री जबराराम चावडा पुत्र श्री हस्तीराम,
   निवासी – ग्राम खींयासरिया, तहसील शेरगढ़, जोधपुर एवं
   श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री जबराराम चावड़ा,
   निवासी – राजीव नगर–ए सेक्टर,
   महामंदिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर।

विषय :– रहन रखे गये भूखण्डों के संबंध मे।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राधिकरण द्वारा आपकी खातेदारी व खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 186 / 3 (नवीन खसरा संख्या 186 / 5), कुल रकबा 09–08 बीघा, ग्राम नान्दड़ा कलां का 90–क का आदेश दिनांक 07 / 10 / 2022 को जारी किया गया, जिसका ले–आउट प्लान प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 06 / 12 / 2022 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उक्त कॉलोनी मे आपके द्वारा 12.50 प्रतिशत भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष मे रहन रखने हेतु एक रहननामा प्रस्तुत किया गया है जो नियमानुसार सही होने के कारण स्वीकृत किया जाकर भूखण्ड संख्या 57 से 61, 67 से 69, 80 से 82, 87 व 88, कुल भूखण्ड 13, कुल क्षेत्रफल 1328.25 वर्गगज को रहन रखा जाता है।

उपायुक्त (जोन–01)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

RajKaj Ref
9483250

Signature valid

Digitally signed by Kanchan Rathor
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.08.01 1?:25:11 IST
Reason: Approved

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

जोधपुर विकास प्राधिकरण

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक/एफ.49/90–क/जोन–01/2024/ 101 **दिनांक :–** 25/11/2024

1. श्री तुलछाराम पुत्र श्री रणछोड़राम, जाति सरगरा एवं

2. श्री लूणाराम पुत्र श्री बाबूलाल,
जति मेघवाल
जरिये रजिस्टर्ड आम–मुख्त्यार
श्री जबराराम चावड़ा पुत्र श्री हस्तीराम,
निवासी – ग्राम खींयासरिया, तहसील–शेरगढ़, जोधपुर एवं
श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री जबराराम चावड़ा,
निवासी – राजीव नगर–ए सेक्टर,
महामंदिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर।

विषय :– खसरा संख्या – 186/3 (नवीन खसरा संख्या 185/5) रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा ग्राम नांदडा कल्लां तह. व जिला–जोधपुर के ले–आउट प्लान मे समयावधि मे विस्तार किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्राधिकरण कार्यालय मे खसरा संख्या – 186/3 **(नवीन खसरा संख्या 185/5) रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा** भूमि ग्राम नान्दडा कल्ला तह. व जिला–जोधपुर के ले–आउट प्लान मे समयावधि विस्तार किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण को ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक **06/12/2022** मे अनुमोदित किया गया। टाऊनशिप पॉलिसी के तहत दो वर्ष की समयावधि विस्तार किया जा सकता है। पूर्व मे स्वीकृत ले–आउट प्लान की समयावधि 2 वर्ष दिनांक 06/06/2026 तक निम्न शर्तो के अनुसार बढाई जाती है।

01. आन्तरिक विकास के मध्ये रहन रखे गये भूखण्ड संख्या 57 से 61, 67 से 69, 80 से 82, 87 व 88 कुल 13 भूखण्ड क्षेत्रफल 1328.25 है को विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रहनमुक्त किया जावेगा।
02. राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 29/09/2021 के अनुसार टेलीकॉम इन्फास्ट्रक्चर यथा मोबाईल टॉवर हेतु नियमानुसार हेतु भूमि आरक्षित करना आवश्यक होगा।
03. एकीकृत भवन विनियम/टाऊनशिप पॉलिसी के प्रावधानों की पालना करनी होगी।
04. स्वीकृत ले–आउट प्लान मे दर्शायें गये उपयोग के अनुसार ही उपयोग किया जावेंगा।
05. नियमानुसार भूखण्डों के पट्टे प्राप्त कर भवन निर्माण अनुमति प्राप्त करनी होगी।
06. राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा देय राशि की मांग की जाती है तो जमा करानी होगी।
07. स्वीकृत योजना का (RERA) मे पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
08. राज्य सरकार व प्राधिकरण द्वारा समय--समय पर दिये गये निर्देशों की पालना करनी होगी।

उपायुक्त (जोन–01)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त (जोन–1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

LAY OUT PLAN OF KHASRA NO. 186/3 (NEW K.NO. 186/5) OF VILLAGE NANDRA KALAN DIST. JODHPUR

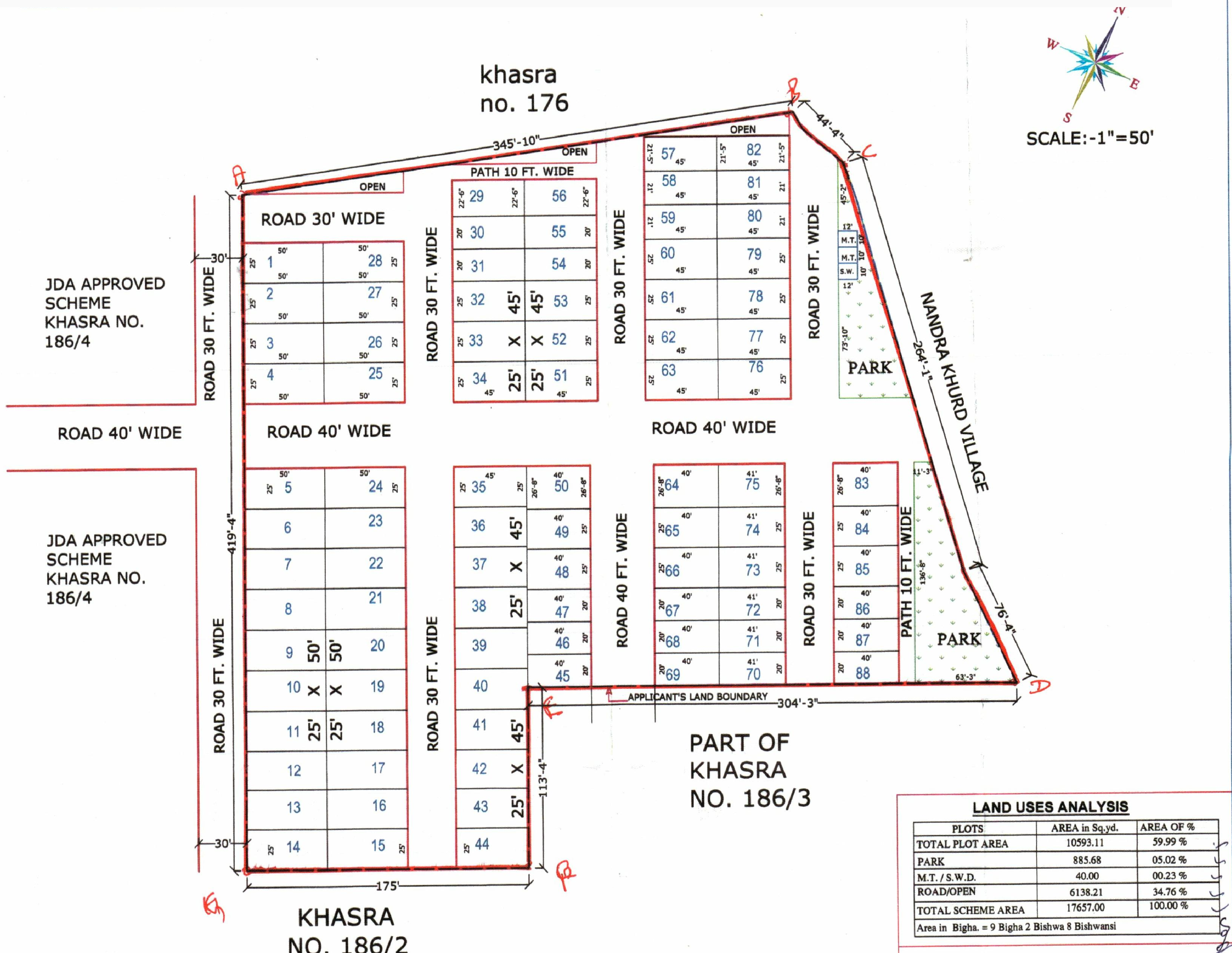

LAND USES ANALYSIS

PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
TOTAL PLOT AREA	10593.11	59.99 %
PARK	885.68	05.02 %
M.T. / S.W.D.	40.00	00.23 %
ROAD/OPEN	6138.21	34.76 %
TOTAL SCHEME AREA	17657.00	100.00 %
Area in Bigha. = 9 Bigha 2 Bishwa 8 Bishwansi		

KHASRA MAP NOT TO SCALE

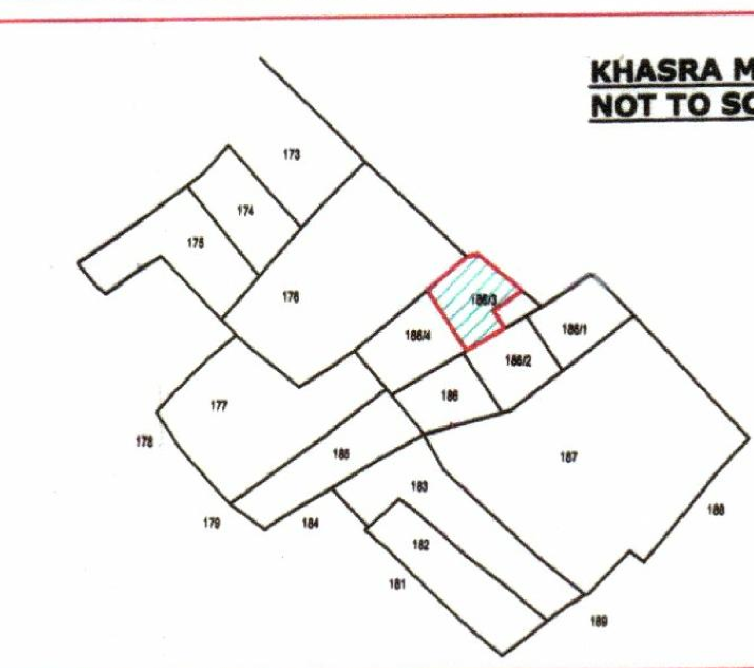

KEY-PLAN

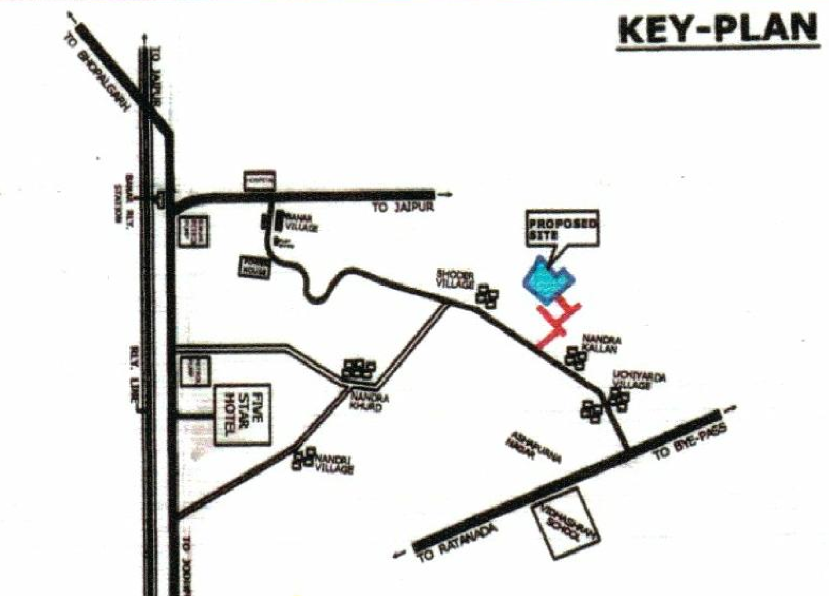

GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 186/3 OF VILLAGE NANDRA KALLAN DIST. JODHPUR

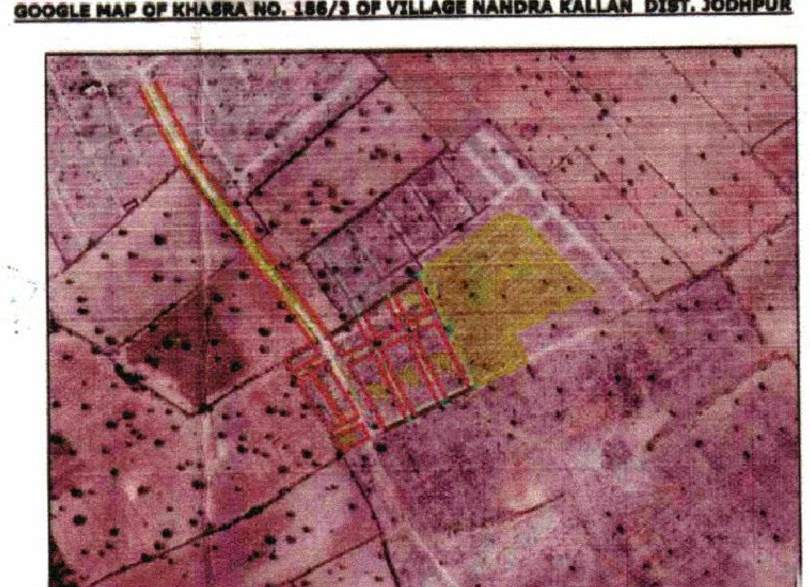

प्रवीण आशिया
निरीक्षक (भू.अ.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

JDA/Dir(P)/Z-01/591 22.11.2024

Rajkaj No. - 06665

एजेण्डा संख्या 08 :–

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.12.2022	जोन–1	नान्दडा कंला	186/3	11.12.00 बीघा में से 09.08.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री तुलछाराम पुत्र श्री रणछोडराम, श्रीमती ढेलीदेवी पत्नी श्री किसनाराम				
विषय:–	राजस्व ग्राम नान्दडा कंला के खसरा संख्या 186/3 रकबा 11.12.00 बीघा में से 09.08.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।				
निर्णय:–	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:– 1. आवेदित भूमि को प्राधिकरण की पूर्व अनुमोदित योजना में से 40 फीट पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 40 फीट सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम की योजना में नियमानुसार विकय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि ली जावें। 3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।					

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

10/3/2023
उप नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

22-11-2024
उपायुक्त (जोन-1)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

SH. PRITHVI RAJ
LICENCE No. JDA/TECH./2021/07
Plot No. 66, Laxmi Vihar
Kudi Bhagtasani, Jodhpur
(M) 9414134639, 9950780333